अति महत्वपूर्ण

संख्या- 3/2026/ 33 /सैतालीस-का-5-2026-(1838120)

प्रेषक,

एस०पी० गोयल,

मुख्य सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष, उ0प्र0।
3. समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी, उ०प्र०।

कार्मिक अनुभाग-5 लखनऊ : 02 फरवरी, 2026

विषय:- मानव सम्पदा पोर्टल पर राज्य कर्मचारियों द्वारा नियमानुसार चल-अचल सम्पत्ति का विवरण दर्ज करायें जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या- 26/2025/865/सैतालीस-का-5-2025, दिनांक 24 नवम्बर, 2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956 के नियम-24 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य के समस्त कार्मिकों को अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण अनिवार्य रूप से मानव सम्पदा पोर्टल पर दिनांक 31 जनवरी, 2026 तक अपलोड करने तथा शासनादेश संख्या- 01/2026/1420/सैतालीस-का-5-2025, दिनांक 06 जनवरी, 2026 द्वारा जिन कार्मिकों के द्वारा नियमानुसार पोर्टल पर अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण/ सूचना दिनांक-31 जनवरी, 2026 तक अपलोड की जाएगी, उनको ही माह जनवरी, 2026 का देय वेतन फरवरी, 2026 में भुगतान किये जाने की कार्यवाही संबंधित विभाग के नियन्त्रक प्राधिकारी / आहरण वितरण अधिकारी द्वारा किये जाने के निर्देश दिये गये है।

2- उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि National Informatics Center (एन०आई०सी०) से प्राप्त डाटा से संज्ञान में आया है कि दिनांक 31 जनवरी, 2026 तक 47,816 कार्मिकों के द्वारा अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण पोर्टल पर दर्ज नहीं किया गया है। अतएव जिन कार्मिकों के द्वारा पोर्टल पर दिनांक 31 जनवरी, 2026 तक विवरण दर्ज नहीं किया गया है, के संबंध में अपने-अपने विभाग के स्तर पर उन कार्मिकों को चिन्हित करते हुए यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि उक्त कार्मिकों का माह जनवरी, 2026 का वेतन आहरित हुआ है अथवा नहीं। यदि पोर्टल पर वांछित सूचना अपलोड न करने के उपरान्त भी किसी कार्मिक का वेतन आहरित किया गया है, तो उक्त के संबंध में विभाग स्तर पर संगत नियमों के अन्तर्गत आहरण वितरण अधिकारी का

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

उत्तरदायित्व निर्धारित कर कार्यवाही कराई जाए तथा कृत कार्यवाही से एक सप्ताह में अवगत कराया जाए। जिन कार्मिकों द्वारा निर्धारित अवधि तक चल-अचल सम्पत्ति का विवरण मानव सम्पदा पोर्टल पर दर्ज नहीं किया गया है, उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

3- कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(एस०पी० गोयल)

मुख्य सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव-</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. विशेष कार्याधिकारी, मा० राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
2. प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश।
3. प्रमुख स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश।
4. प्रमुख सचिव, विधानसभा / विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
5. महानिदेशक, उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबन्धक अकादमी, अलीगंज, लखनऊ।
6. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
7. सचिव, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज।
8. सचिव, उत्तर प्रदेश अधीलस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ।
9. निदेशक कोषागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
10. समस्त मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
11. प्रभारी, आई०टी० प्रकोष्ठ, उत्तर प्रदेश सचिवालय को इस आशय से प्रेषित कि ई-ऑफिस डैसबोर्ड पर प्रदर्शित करना चाहें।
12. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन०आई०सी०, लखनऊ को उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु पोर्टल पर आवश्यक व्यवस्था कराने हेतु।
13. श्री ए०के० रावत, निदेशक (आई०टी०), एन०आई०सी०, योजना भवन, लखनऊ उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु पोर्टल पर आवश्यक व्यवस्था कराने हेतु।
14. गार्डफाइल।

आज्ञा से,

(एम० देवराज)

प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in